भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5633

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

**कानूनी सुधार**

**5633. श्री अनूप संजय धोत्रे :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नागरिकों को न्याय व्यवस्था तक पहुंच में सुधार लाने के लिए देरी को दूर करने, लंबित मामलों को कम करने और न्याय वितरण प्रणाली की समग्र दक्षता बढ़ाने की पहल सहित क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण और नीति आयोग की रिपोर्टों में उजागर किया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार समकालीन परिस्थितियों/घटनाओं और उभरती चुनौतियों के साथ तालमेल रखने के लिए व्यापक कानूनी सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करती है और यदि हां, तो मौजूदा कानूनों और विनियमों की समीक्षा करने और उन्हें अद्यतन करने के लिए क्या पहल की गई है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ग) :** सरकार समसामयिक विकास और उभरती चुनौतियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए व्यापक विधिक सुधारों और मौजूदा विधियों और विनियमों की समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता को समझती है ।सरकार ने न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(i) न्याय वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके दोहरे उद्देश्य थे - प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना तथा प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करना ।मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है ।

(ii) न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों

के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले ।वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से तारीख 28.02.2025 तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं ।इस योजना के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है ।

(iii) इसके अलावा, ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के चरण 1 और 2 के तहत, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है ।2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है ।99.5% न्यायालय परिसरों को डब्ल्युएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ।3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा सक्षम की गई है ।28.02.2025 तक, 1572 ई-सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं ।जिला न्यायालयों और 39 ई-सेवा केंद्रों में अधिवक्ताओं और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए उच्च न्यायालयों में केंद्रों को कार्यात्मक बनाया गया है ।21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं । तारीख 28.02.2025 तक, इन न्यायालयों ने 6.95 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान किया है और 736.11 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है ।मंत्रिमंडल ने तारीख 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय से ई-कोर्ट परियोजना के चरण-3 को मंजूरी दी है ।चरण-1 और चरण-2 के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-कोर्ट चरण-3 का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय में आसानी की व्यवस्था शुरू करना है ।इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करना है ।

(iv) सरकार भारत, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है ।तारीख 01.05.2014 से तारीख 31.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई ।इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1034 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 794 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया ।उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है ।जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

| तारीख को | स्वीकृत संख्या | कार्यरत संख्या |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 31.03.2025 | 25,791 | 20,459 |

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

(v) अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है ।जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियों का गठन किया गया है ।

(vi) चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है ।तारीख 28.02.2025 तक देश भर में 857 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं ।निर्वाचित सांसदों/विधायकों

से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं ।इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है ।तारीख 28.02.2025 तक देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 विशेष पॉक्सो (ईपॉक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 3,13,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है ।

(vii) न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को सुचारू करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 ।

(viii) वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है ।तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता (पीआईएमएस) आज्ञापक हो गया ।पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधन किए गए हैं ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, केस प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके ।यह, तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है ।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक और नई विशेषता, रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है और न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है ।

(ix) लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है ।यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है ।विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती ।लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है ।राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाती हैं ।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

| वर्ष | मुकदमे-पूर्व मामले | लंबित मामले | कुल योग |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72,06,294 | 55,81,743 | 1,27,88,037 |
| 2022 | 3,10,15,215 | 1,09,10,795 | 4,19,26,010 |
| 2023 | 7,10,32,980 | 1,43,09,237 | 8,53,42,217 |
| 2024 | 8,70,19,059 | 1,75,07,060 | 10,45,26,119 |
| कुल | **19,62,73,548** | **4,83,08,835** | **24,45,82,383** |

(x) सरकार ने वर्ष 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

| **वर्ग** | **रजिस्ट्रीकृत मामले** | **%वार ब्रेक अप** | **दी गई सलाह** | **%वार ब्रेक अप** |
|---|---|---|---|---|
| **लिंग-वार** | | | | |
| महिला | 43,50,146 | 39.53% | 42,92,045 | 39.49% |
| पुरुष | 66,55,274 | 60.47% | 65,77,616 | 60.51% |
| **जाति श्रेणी-वार** | | | | |
| सामान्य | 25,94,779 | 23.58% | 25,54,696 | 23.50% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 34,67,629 | 31.51% | 34,21,343 | 31.48% |
| अनुसूचित जाति | 34,55,009 | 31.39% | 34,19,433 | 31.46% |
| अनुसूचित जनजाति | 14,88,003 | 13.52% | 14,74,189 | 13.56% |
| **कुल** | **1,10,05,420** | | **1,08,69,661** | |

*डेटा तारीख 28.02.2025 तक.

(xi) देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं ।एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, **जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएं देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप** में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं ।न्याय बंधु सेवाएं उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं ।राज्य/संघ राज्यक्षेत्र **स्तर पर** 23 **उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है ।नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए** 109 **लॉ स्कूलों** में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं ।

******